



प्रेस नोट



दिनांक 27.08.2019 थाना फतेहाबाद जनपद आगरा।

सुनसान इलाकों/रास्तों पर लूटपाट की घटना को अंजाम देने वाले दो शातिर लुटेरों को थाना फतेहाबाद पुलिस टीम ने किया गिरफ्तार, गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से एक अदद मोटरसाइकिल व अवैध असलाह बरामद।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आगरा के निर्देशन में जनपद में अपराधों की रोकथाम हेतु व अपराधियों के धरपकड़ अभियान के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक ग्रामीण पूर्वी व क्षेत्राधिकारी फतेहाबाद के सफल पर्यवेक्षण में जनपद में चलाये जा रहे वांछित/चोर/ लुटेरों की गिरफ्तारी के अभियान के क्रम में थाना प्रभारी फतेहाबाद को टीम का गठन कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये।

इसी क्रम में गठित पुलिस टीम द्वारा दिनांक 26.08.2019 को चैकिंग संदिग्ध व्यक्ति/वाहन अभियान के दौरान मुखविर खास द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि थाना फतेहाबाद क्षेत्र में पूर्व में लूट करने की कोशिश करने वाले अभियुक्तों के विरुद्ध थाना फतेहाबाद जनपद आगरा पर मु.अ.सं. 359/2019 धारा 393 भा.द.वि. में अभियुक्तगण शमशाबाद रोड़ पर लूट करने की फिराक में खड़े हैं अगर जल्दी की जाये तो गिरफ्तार किये जा सकते हैं।

इस सूचना पर विश्वास करके मुखविर द्वारा बताये गये स्थान पर एक बारगी दविश देकर लूट की घटना की कोशिश करने वाले अभियुक्तों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त हुई। जिसने कब्जे से लूट की घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल व एक अदद देशी तमंचा .315 बोर मय दो जिन्दा कारतूस बरामद हुये।

गिरफ्तार अभियुक्तगण बड़े शातिर चोर/लुटेरे हैं, जिनका मकसद सुनसान इलाके/रास्तों पर अकेले पाये गये व्यक्तियों के साथ लूटपाट करने की घटना को अंजाम देते हैं। इनका मुख्य पेसा मोबाइल फोन/चैन छीनना है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण वर्ष 2017 में थाना राजाखेड़ा जनपद धौलपुर राजस्थान से बलात्कार के अभियोग में जेल गये थे तथा गिरफ्तार अभियुक्त वंशी उर्फ विजय प्रताप वर्ष 2017 में थाना शिप्रा पथ से लूट की घटना में जेल गया था। गिरफ्तार अभियुक्तों के द्वारा जनपद आगरा में थाना जगदीशपुरा सहित अन्य थानों में लूटपाट करने की घटना स्वीकार की गयी है।

• गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण :-

01. रामनरेश उर्फ विवेक पुत्र स्व0 श्यामलाल निवासी नीम डाड़ा थाना राजाखेड़ा जनपद धौलपुर राजस्थान।
02. वंशी उर्फ विजयप्रताप पुत्र लखेराज निवासी जगेरा थाना राजाखेड़ा जनपद धौलपुर राजस्थान।

● बरामदगी का विवरण :-

01. एक अदद मोटर साइकिल पैशन-प्रो रजि० यू०पी० 80 ईक्यू 2077 ।
02. एक अदद देशी तमंचा .315 बोर मय दो जिन्दा कारतूस .315 बोर ।

● गिरफ्तार अभियुक्तगण उपरोक्त का आपराधिक इतिहास का विवरण :-

क्र०सं०	मु०अ०सं०	धारा	थाना / जनपद
01.	359 / 2019	धारा 393 भा.द.वि.	फतेहाबाद / आगरा
02.	360 / 2019	धारा 3 / 25 आर्म्स एक्ट	फतेहाबाद / आगरा
03.	1085 / 2018	धारा 392 भा.द.वि.	जगदीशपुरा / आगरा
04.	थाना राजाखेड़ा जनपद धौलपुर राजस्थान से सम्बंधित व जनपद शिप्रा पथ जनपद धौलपुर राजस्थान से सम्बंधित मुकदमों की जानकारी की जा रही है ।		

● गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण:-

01. प्रभारी निरीक्षक प्रवेश कुमार थाना फतेहाबाद जनपद आगरा ।
02. उ०नि० जितेन्द्र गौतम थाना फतेहाबाद जनपद आगरा ।
03. कां० 4267 हरिओम, कां० 4487 मुनेन्द्र, कां० 3900 ज्ञानसिंह, कां० 4973 दीपक कुमार, चालक धर्मेन्द्र थाना फतेहाबाद जनपद आगरा ।





मीडिया सेल आगरा पुलिस।